[श्री मनी राम बागड़ी]

का नाम होना चाहिए। उसकी एक गलत भावना आकाशवाणी से दी गई कि मैंने नाम बदलने की मांग की है।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): I want to say something on that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ravi, you must know the procedure. I am sorry you are unnecessarily trying to get up and want to say something. But, Shri Bagri has been permitted.

श्री मनी राम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, नाम बदलने से मतलब नहीं है। उसके पीछे यह इतिहास था कि विदेशी साम्राज्य और हाकिमों के नाम के बजाय भारत की आजादी के लिए जान-संघर्ष में लड़ने वाली श्रीमती सुचेता कृपालानी का नाम उसमें जोड़ा जाये। यह बात आकाशवाणी से गलत ढंग से प्रसारित हुई। इससे भारत की जनता की राष्ट्रीयता जो उभरनी चाहिए थी, वह नहीं उभर सकी। इस प्रकार आकाशवाणी ने भारत की राष्ट्रीयता का अपमान किया है।

ऐन इसी तरह मुझे आकाशवाणी और दूरदर्शन से यह भी शिकायत है कि जब हम उन्नीस महीनों तक जेलों में थे, तो ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन कर अपना वक्त काटा करते थे, लेकिन अब उस कार्यक्रम को भी हटा दिया गया है, मानो इन विभागों को मथुरा से कोई द्वेष है। मथुरा को बच्चों के बजाने वाले बाजे जैसा, एक पीपे जैसा, एक छोटा सा रेडियो स्टेशन दे दिया गया है, जिस का प्रसारण केवल 80 मील तक सुना जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस तरह भारत की संस्कृति और सभ्यता को फैलने से रोका जा रहा है।

अच्छा होता कि मंत्री और राज्य मंत्री दोनों इस समय सदन में उपस्थित होते। मैं कहना चाहता हूं कि इन विभागों की शुद्धि करने की आवश्यकता है। अगर आकाशवाणी एक लाख किसानों की आवाज की कद्र नहीं करता है, उस का प्रसारण नहीं करता है, तो यह हिन्दुस्तान के कोटि कोटि किसानों के साथ अन्याय है। श्रीमती सुचेता कृपालानी जैसी महान् राष्ट्रीय कार्यकर्त्री का नाम न दे कर आकाशवाणी ने राष्ट्रीयता के प्रति बड़ा अपमानजनक काम किया है।

मैं समझता हूं कि शायद आकाशवाणी और दूरदर्शन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। नये मंत्री आ गये हैं, लेकिन सन्तरी नहीं बदले हैं, जो शुक्ला जी के साथ चला करते थे। आज सतरी मंत्री को कंट्रोल करते हैं, मंत्री सतरी को नहीं। मैं चाहता हूं कि आइंदा इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए।

14.15 hrs.

MOTION RE: TWENTIETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES.

AND

DISCUSSION ON THE EMPLOYMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN SERVICES AGAINST RESERVED QUOTA—*contd.*

MR DEPUTY SPEAKER: Now, we take up further consideration of the Motion moved by Prof. Madhu Dandavate and further discussion on the employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Shri C. N. Viswanathan may continue his speech.

SHRI C. N. VISWANATHAN (Tiruppattur): Mr. Deputy Speaker, Sir, as I said yesterday, the same response is shown today in the House regarding this important Motion which has been moved by Prof. Dandavate. We

are talking so many things in the House about the welfare of scheduled castes and scheduled tribes but even today there is no response from both sides of the House. Even the concerned Minister—the Home Minister and the Minister of State in the Ministry of Home Affairs—are not present.

Mr. Deputy Speaker, Sir, the Untouchability Act which is already in existence is not sufficient to protect the scheduled castes and scheduled tribes. The Untouchability Act which is prevailing now throughout India does not give severe punishment to the persons who are offenders under this Act. The crimes under this Act are tried only in second-class courts. They should be tried in first-class or in Sessions Courts.

Further, I would like to draw the attention of the House and also that of the Government that we have to ban first, the caste system. Even many Ministers here at the Centre and also in the States are having their caste with their names. Even the President of India, Shri Sanjiva Reddy is having his caste with his name, namely, 'Reddy'. So we must ban the caste system first. My party, Anna D.M.K. has taken a policy decision to this effect. So, I request this House and also the Janata Government that they should adopt the same policy as has been adopted by the Anna D.M.K. The Ministers are requested not to have their caste names with their names. The elderly Members may use their influence to this effect in their respective parties. Even the top level officers in the Government are having the caste indication after their names. But in the case of Harijans, they do not have any indication after their names so that they are surely identified that they belong to Harijan community. Therefore, the Government should take immediate step to abolish this system of indication of caste after the names.

Sir, another point is that the candidates of various political parties fighting in the election must to allowed only if they do not mention the caste after their names. In regard to untouchability. I may bring to your kind notice that this system is still prevalent in our country. If we want to abolish the untouchability, we must be ready to do somthing good to the nation. There is no use of talking hours together on this subject in this House.

Sir, In our State, some of our MPs and MLAs were asked to remove the caste indication after their names. This is also one of the policies of our party. Unless we abolish this caste indication after the names, we will not be able to move forward in this direction. Yesterday, Shri Faleirio had correctly said, Sir that the Chief Minister of Tamil Nadu is showing the right way to other States for the cause of Harijans. He had mentioned how the Chief Minister of Tamil Nadu was helping the Scheduled Caste and Scheduled Tribes in his State, for their progress. Hon'ble Deputy-Speaker perhaps knows that the Tamil Nadu Chief Minister is called as M.G.R. 'M' stands for magnanimity. He had filled the Rajya Sabha seat and that seat has been filled by Shri Munuswamy, a person belonging to Scheduled Caste. There are so many other ways in which M.G.R. has been helping the SC ST people. The second word 'G' stands for generosity. He has given many lakhs of rupees for the upliftment of Harijans. The third word 'R' stands for royalty. In the matter of royalty, the Tamil Nadu Government is giving pension to the aged people belonging to SC ST. In the same way, Government of India should also give at least Rs. 30/-per month as pension to the aged people belonging to SC ST. Otherwise, we will not be doing natural justice.

Yesterday, Shri Mani Lal reported in the House that many murders have been committed recently by the upper

[Shri C. N. Viswanathan]

caste people and no action has been taken by the police so far. Since the aggrieved persons are mostly SC ST people, I would request the Home Minister to take immediate action and protect the Harijans. It has been reported that there has been an increase in the atrocities committed on the Harijans in Bihar and Orissa States. The Government should give top priority to such offences and take immediate steps and deterrant punishment should be given to the offenders. Sitting in Delhi, we will not be able to know what is happening in other parts of India, especially in rural areas. In the rural areas even water is not allowed to be drawn from the common wells by the Harijans. We are talking here so much for the upliftment of the down-trodden and the Harijans but when it comes to the question of action very little is done. The Government is not doing enough to provide the basic necessities like drinking water, housing facilities, medical and educational facilities to the SC ST. Yesterday also, I should mention, no Cabinet Minister cared to listen to the speeches of the Members about the difficulties of Scheduled Castes and Tribes. That is the example. What is the use of talking in this House? We must do some real thinking. We must enact legislation. We must have a commission in which not only Harijans and Scheduled Castes will be there, but also all kinds of people including other caste people should be there. It should consider concrete steps to be taken for them. We are not caring for them at all. If things continue like that there will be revolution by the people in India. Only 35 Members were present Yesterday: today there are hardly 36 or 37 persons in the House....(*Interruptions*) Yesterday Shri Mavalankar spoke about inter-caste marriages. We are proud to say that in Tamilnadu the government is giving gold medals for people who go in for inter-caste marriages; government is giving them jobs and other facilities for their future life. In Tamilnadu the government had also given houses for Harijans. The Government of India is not giving funds to shift Harijans from huts to big buildings. Nearly ten thousand families had been shifted from huts to buildings in Tamilnadu and any Minister can see that. We want that more funds should be given to shift Harijans who are now living in huts to be accommodated in better houses. We are living in flats and we do not think of Harijans who are living in huts and under the trees. It is the right time to think about them. We must first give them lands and houses. Another M.P. suggested that lands should be given. How can we give lands? There are a number of persons in India having thousands and hundreds of acres. But the Scheduled Castes do not have even one acre of land to plough. In Tamilnadu we have got the 15 standard acre limit. The land ceiling must be fixed.

CHOWDRY BALBIR SINGH (Hoshiarpur): Ceiling law is there, it is not enforced.

SHRI C. N. VISWANATHAN. They are cheating others by benami transactions. We are taking steps to get hold of benami transactions and government should take immediate steps to enforce land ceiling and give land to people who are tilling lands and shedding their sweat working on land day and night. They get Rs. 3 or 5 as daily wages and the entire fruit of their labour is enjoyed by the owner, zamindar and landlord who are living in AC rooms. 90 per cent of the tillers are Scheduled Caste people. It must be done immediately by this government; this is the proper time to do this. If the Bill comes up here, nobody will dare oppose it because anybody who opposes will be identified by people and people will say to him: you are saying one thing and doing another thing. Land ceiling laws must come immediately to help Scheduled Castes.

SHRI SURAJ BHAN (Ambala): What about your State services? There is no reservation in promotions; it is here in the Centre.

SHRI C. N. VISWANATHAN: Our percentage is more than what it is in other states. You can see and compare the figures. If the hon. Member can prove it, we are ready to accept the challenge. Do not think that our Chief Minister, Mr. M. G. Ramachandran has not done anything. He has in fact given everything for the nation. I will accept the challenge if the Member is giving correct information.

SHRI SURAJ BHAN: It is hard reality that there is no reservation in promotions in Tamil Nadu Services.

SHRI RAGAVALU MOHANARANGAM (Chengalpattu): Your statistics is wrong. You are not giving correct information. Let the hon. Member understand how the things are going on in Tamil Nadu.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seats.

SHRI C. N. VISWANATHAN: For about six hours, we have been discussing this matter and we will discuss it for another 2 hours also. I would request the hon. Minister and the Government to take some concrete steps in the matter immediately. With these words, I conclude my speech.

SHRI HITENDRA DESAI (Godhra): May I know, when the hon. Minister. will be replying to the debate?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not definite because we will be taking up non-official business at 3.30 PM.

SHRI HITENDRA DESAI: Not today.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not today in any case.

श्री आर० एन० राकेश (चायल): अध्यक्ष महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की 1971–72 1972–73, 1973–74 की रिपोर्ट अपने आप में हरिजनों और पिछड़े लोगों पर ढाए गए जुल्मां का पुलिन्दा है और पुलिन्दे की हर सतर गुनगुनाती कूक है। "मैं मैके चली जाउंगी तू देखता रहियो" इंदिरा गांधी आई, उनकी कांग्रेस आई, वे चली गई, उनकी सियासत चली गई लेकिन उनकी हकुमत में आई रिपोटों पर आज हम बहस कर रहे हैं। आजकल विरोध पक्ष के हमारे कांग्रेसी बन्धु इन रिपोर्टों पर आंसू बहा रहे हैं। उनके ये आंसू नए नही है बल्कि पुराने हैं। ये आंसू वैसे ही हैं जैसे कि कोई राज बहू विवाहित हो कर जब मैके में जाय तो कहे कि मैं तो मैके की हूं और शादी हो कर ससुराल में जाय तो कहे कि मैं तो ससुराल की हूं, अगर मैके की होती तो शादी करके ससुराल क्यों आती, वैसे ही जब ये लोग पावर मे थे तो अत्याचारियों के बीच में जाकर कहते थे कि हम लोग आपके हैं और जब हरिजनों के बीच में आते थे तो कहते थे कि हम लोग आपके हैं। ये हमारे कांग्रेस के भाई बिल्कुल उस राज बहु के समान हैं। परन्तु सत्य यह है कि जोर-जुल्म पहले भी होते थे और अब भी होते हैं। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर कश्मीर तक हरिजनों के सम्बन्ध में मुझे कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क केवल इतना पड़ा है कि कांग्रेस की हकुमत चली गई है और जनता सरकार की सल्तनत आ गयी है। पहले जिस कुर्सी पर इंदिरा गांधी बैठती थीं आज उस कुर्सी पर श्री मोरारजी भाई बैठे हैं। पहले जिस कुर्सी पर श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी बैठे थे, आज उस कुर्सी पर चौधरी श्री चरण सिंह को जनता ने

[श्री भार० एन० राकेश]

बिठा दिया है। बस फर्क केवल इतना ही पड़ा। लेकिन जहां तक देश की समस्याओं का सवाल है, देश के गरीबों का सवाल है, उनकी समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। इनमें कोई परिवर्तन नजर नही आ रहा है।

अभी कल ही गृह राज्य मंत्री श्री मंडल ने बिहार धर्मापुर में हुई हरिजन हत्याओं के बारे में कहा कि वहां पर कोई हत्याएं हुई ही नही। । क्षोभ है इन हत्याओ को इतना मामुली सा महत्व दिया जा रहा है। सदन ने धर्मापुर हरिजन हत्या काण्ड पर उन्होने जो कहा इसको सुनकर मैं आश्चर्य चकित रह गया हूं, कल पार्लिमेंट के दस एमपीज का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार धर्मापुर गया था। उस मे मैं भी था। वहां हम लोगो ने देखा कि किस तरह से चार हरिजनों को मौत के घाट उतार दिया गया है। वहां जाने के बाद और स्थिति का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि बिहार में इमरजेंसी के दौरान श्रीमती गांधी की सरकार ने जिन 148 लोगों को नक्सलाइट्स कह कर मौत के घाट उतरवा दिया था जिनको पुलिस ने अपनी बन्दूक की गोलियों से भून दिया था उन में 134 हरिजन थे जो नक्सलाइट नही थे जो भूखे थे जिन्होंने रोटी मांगी थी, जिन्होंने दिन भर खेतों में मजदूरी की थी और अपना वाजिब हक मांगा था। उनको नक्सलाइट कह कर गोलियों से भून दिया गया था तो इधर जनता सरकार में भी धर्मापुर जैसे तमाम कांडों में हरिजनों का संहार किया है। भाई राम धन जी ने जो ब्यान दिया है और जो तार प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को दिया है, उसको मैं अक्षरशः सत्य मानता हूं और सदन में राज्य गृह मंत्री श्री मंडल ने जो रिपोर्ट दी है वह बेबुनियाद है, झूठी है और सदन को गुमराह करने वाली है और उसका मैं जम कर विरोध करता हूं। हाल ही में ब्लिट्ज को इंटरव्यू देते हुए हमारे गृह मंत्री श्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि हरिजनों पर देश में कोई जोर-जुल्म नहीं हो रहा है। उनका यह ब्यान बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। चौधरी चरण सिंह से तो नही अपितु भारत के गृह मंत्री से मैं कहूंगा कि उनको ऐसी बात नही करनी चाहिए थी जैसी उन्होंने ब्लिट्ज को दी गई इंटरव्यू के दौरान कही है। सच तो यह है कि पूरे भारत मे हरिजनों पर जोर-जुल्म हो रहे है। भारत के पूर्वी इलाके मे वैसे ही भूमिहार हरिजनों पर जुल्म कर रहे हैं जैसे पश्चिम में जाट हरिजनों का संहार कर रहे हैं।

SHRI PRASANNBHAI MEHTA (Bhavagar): On a point of order, Sir. It appears the hon. member is unaware of parliamentary language. He said

"होम मिनिस्टर ने झूठ कहा है।"

'Jhoot' is unparliamentary. It should be expunged.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच): उन्होंने जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है उस पर आपका क्या रूलिंग है। वह गलत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।

श्री आर० एन० राकेश: उस शब्द के स्थान पर गलत शब्द कर दिया जाए मुझे कोई एतराज नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: झूठ के स्थान पर गलत कहिये या कोई और शब्द कहिये।

श्री आर० एल० राकेश : झूठ शब्द के स्थान पर आप गलत शब्द कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं है ।

अभी हाल ही में राज्य गृह मंत्री श्री मंडल ने एक अधिकारी श्री शिव प्रकाश जो ला मिनिस्ट्री का है श्री शिव प्रकाश, उनके बारे में कहा है कि वह पागल है. कितना भ्रामक है। जो सच्च बात है वह मैं आपको बताना चाहता हूं । वह अधिकारी कलकत्ता गया था ड्यूटी पर और वहां लोगों को जब यह मालूम हुआ कि वह शैड्यूल्ड कास्ट का है और शैड्यूल्ड कास्ट के लोग उनसे मिलने आने लगे तो दूसरे लोग उसे बरदाश्त नहीं कर पाए और उनको उन्होंने इतनी बुरी तरह से मारा, उनको इस बुरी तरह से रिटार्ड की, उस पर इतना जुल्म किया कि जिस की कोई सीमा नहीं है । मैं समझता हूं कि जनता सरकार को इस तरह की चीज का कतई बरदाश्त नहीं करना चाहिए था । खेद है, चूंकि वह हरिजन अधिकारी था इस वास्ते उसके ऊपर इतना जोर जुल्म हुआ । इतना ही नहीं, मार खाने के बाद जब वह एफ० आई० आर० लिखाने के लिए गया तो उसकी एफ० आई० आर० नहीं लिखी गई और बाद में डाक्टरों के द्वारा यह कहलवा दिया गया कि वह मेंटली डिस्टर्ब्ड है पागल है । मुझे यह भी बताया गया है कि उस अधिकारी को मैडीकल बोर्ड में भेजा जा रहा है जबकि मि० शिव प्रकाश जो अभी भी अपनी ड्यूटी पर है और ठीक प्रकार से अपना काम कर रहे हैं जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही आज भी कर रहे हैं उसी स्केल में कर रहे हैं जिस स्केल में पहले कर रहे थे और उनकी अपनी कार्यक्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ा है । उनको मेडिकल बोर्ड के सामने इसलिए भेजा जा रहा है ताकि वह नौकरी के लायक न रह जाए । मैं कहूंगा कि कम से कम इस प्रकार की ज्यादती तो जनता सरकार में हरिजनों के साथ नहीं होनी चाहिये । वैसे भी श्री मंडल के मुख से ऐसा भ्रामक और मिथ्या कथन शोभा नहीं देता है ।

कुछ साथी पार्लियामेंट हाउस के सामने 5 दिन से एक जायज बात को ले कर भूख हड़ताल कर रहे हैं । उनका कहना है कि जो लोग हरिजन से बुद्धिस्ट हो जायें, जिन्होंने हिन्दू धर्म छोड कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है उनको हरिजनों के नाम पर, अछूत होने के नाम पर जो सुविधायें मिलती थीं पहले, वह मिलती रहें । कुछ लोगों का इस बारे में विरोध है, उनका कहना है कि यह सुविधायें बौद्ध हो जाने के बाद नहीं मिलनी चाहियें । हिन्दू ला कहता है कि जो भी हिन्दू हों, सिख हों, बौद्ध हों वह हिन्दू ला के अन्तर्गत गवर्न होते है । जब हिन्दू ला की ऐसी स्थिति है तो उनको वह सुविधायें मिलनी चाहियें जो हरिजन होने के नाते पहले मिलती थी । मैं उनकी मांगो का समर्थन करता हूं। मेरी आशा है कि उन्हें हरिजन समझ कर, अछूत समझ कर, गरीब समझ कर जो पांच दिन से पार्लियामेंट के सामने मांग कर रहे है उनकी मांगो को माना जाएगा । जनता सरकार को उनकी इन मांगो को दबाना नहीं चाहिये । ऐसा करने से सारे देश के शोषितों का अपमान है, जो कि नहीं होना चाहिये ।

जहां तक सरकारी नौकरियों में हरिजनों के प्रतिनिधित्व की बात है, शिक्षा में हरिजनों का कोई कोटा नहीं भरा गया । बैंक आफ़ इंडिया ने, फाइनेंस विभाग में हरिजनों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है । कांग्रेस के जमाने में अगर नहीं हुआ कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन जनता सरकार भी इस पर कोई तवज्जह नहीं दे रही है । अभी 27 जुलाई को गृह मंत्री ने सदन में ही कहा था कि फर्स्ट और सेकेन्ड क्लास की नौकरियों में बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० में शेड्यूल्ड कास्टस का कोटा 4 परसेंट है । डाक्टर की नौकरी में जीरो परसेंट है और तृतीय श्रेणी में 11 75 परसेंट है तथा चतुर्थ श्रेणी में

[श्री आर०एन० राकेश]

33 परसेंट है । और यह भी कहा था कि स्वीपरस में 80 परसेंट शैडयल्ड कास्ट के लोग हैं, लेकिन क्लास 1 और 2 की नौकरियों में हरिजनों का कोटा नहीं भरा गया है इस चीज को स्वयं गृह मंत्री महोदय ने कबूल किया है । लेकिन अभी अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि वह क्या करने जा रहे हैं और न कोई उस कमी को पूरा करने की दिशा में ऐसा कोई कदम उठाया है जिससे आशा बने कि उनका कोटा पूरा किया जा सकेगा ।

सभापति जी, जहां तक डाक तार विभाग का सम्बन्ध है 10 मई, 1977 को डाक तार विभाग ने अपने जी० ग्रो० नं० 233/26/77 एस० टी० जी० द्वारा एक आदेश निकाला है जिसमें 500 जनरल कास्ट के लोगों की पदोन्नति हुई है । लेकिन हरिजनों को जहां साढ़े 22 परसेंट का लाभ मिलना चाहिए था वहां उनको 3 परसेंट ही लाभ मिला है । नौकरी देने की बात तो अलग रही, पदोन्नति, में भी हरिजनों की उपेक्षा की जा रही है । सच तो यह है कि 30 साल में जहां बड़े बड़े पदों पर रखने की बात थी वहां हरिजनो के हितों की उपेक्षा की गई है । उदाहरण के लिये 20 गवर्नर्स इस देश में नियुक्त हुए । केवल उत्तर प्रदेश में एक गवर्नर जनता सरकार ने नियुक्त किया है, अन्यथा इन पदों के लिये भी हरिजनों का कोई प्रतिनिधित्व न कांग्रेस ने दिया था और न ही जनता सरकार दे रही है । जनता सरकार ने केवल एक गवर्नर नियुक्त किया है इसके लिये धन्यवाद लेकिन दूसरा प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं मिला है । देश में 8 लेफिटनेंट-गवर्नर नियुक्त किये गये हैं, उन में शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राइबज को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है । विदेशों में भारत के 131 एम्बैसेडर और हाई कमिश्नर रखे गये हैं, लेकिन उन में पनामा में श्री छेदीलाल और चाइना में श्री नारायणन को छोड़ कर कोई तीसरा शिड्यूल्ड कास्ट्स का एम्बैसेडर या हाई कमिश्नर नहीं है । इसी प्रकार लगभग 150 चैयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स में भी शिड्यूल्ड कास्ट्स का कोई प्रतिनिधि नहीं है । हाई कोर्ट के जजों की एपायंटमेंट में भी शिड्यूल्ड कास्टस की हमेशा उपेक्षा की गई है । हाल ही में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में 9 जज एपायंट किये गये, लेकिन उन मे शिड्यूल्ड कास्ट्स का एक भी व्यक्ति नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों के हाथ में ये नियुक्तियां करने का काम था, उन्ही की बिरादरी के लोग वहां रखे गये और ला मिनिस्टर तथा प्राइम मिनिस्टर को लिखने के बावजूद भी शिड्यूल्ड कास्ट्स को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । काश, जजों के चुनाव में शिड्यूल्ड कास्ट का भी कोई आदमी होता ।

सारे देश में इन गरीबों के साथ अब भी उपेक्षा की जा रही है । केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 8 प्रान्तों में नये मुख्य मंत्री बनाए गए, लेकिन उन में से किसी भी प्रान्त में कोई शिड्यूल्ड कास्ट्स का व्यक्ति मुख्य मंत्री नहीं बनाया गया । श्री रामधन ने उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री पद के लिए चुनाव-लड़ने की कोशिश की, तो वहां जातिवाद और बिरादरीवाद इस तरह उभर कर सामने आया कि ऐसा लगा कि जनता सरकार भी कांग्रेस की लकीर की फकीर बनी हुई है और उसी रास्ते पर चल रही है ।

यह सदन हिन्दुस्तान की सब से बड़ी पंचायत है । इस लिए इस पंचायत में मैं सारे देश के दलितों की ओर से यह बता देना चाहता हूं कि अगर वे भूखे हैं, तो उन की भूख के साथ उपहास न किया जाये और अगर वे नंगे हैं, तो उन के नंगेपन का अपमान न किया जाये । इस धरती पर बड़े बड़े भगवान पैदा हुए हैं, लेकिन इन वर्गों के लिए कोई भगवान पैदा

नहीं हुआ—अगर पैदा हुआ, तो डा० अम्बेडकर पैदा हुए । मैं चाहता हूं कि जनता सरकार दूसरा अम्बेडकर बने ।

सताये जो गरीबों को, उसे शैतान कहते हैं,
उठाये जो गरीबों को, उसे भगवान कहते हैं ।

मैं चाहता हूं कि माननीय होम मिनिस्टर, चौ० चरण सिंह जिन के कंधों पर गरीबों की रक्षा और हरिजनों की सुरक्षा का भार है, भगवान ही बनें । सच तो यह है कि अगर-भाई भतीजावाद के नशे में इन गरीबों के साथ उपहास किया जाता है, हरिजनों के हितों की रक्षा नहीं की जाती है, तो चाहे वे काले-कलूटे हों, चाहें उन के बाल जानवरों जैसे हों, चाहे वे भूखे-नंगे हों, चाहे भद्दे बदसूरत हैं, पर उन में इतनी ताकत है कि अपने हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले की वह खोपडी तोड देंगे ।

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इन गरीबों की आवाज को बुलन्द करने का अवसर दिया ।

श्री सोमजी भाई डामोर (दोहद) : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों और आदिवासियों के सम्बन्ध में पांच साल पहले की रिपोर्ट पर आज बहस हो रही है, इस का मतलब मैं समझ नहीं पाया हूं । हरिजनों के बारे में तो बहुत लोग बोलने वाले हैं, इस लिए मैं सिर्फ आदिवासियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

सारे हिन्दुस्तान में नौकरियों में हरिजनों तथा आदिवासियों के रिजर्वेशन पर विचार करने से पहले यह देखना चाहिए कि इन वर्गों के कितने लोगों को मिनिस्टर बनाया गया है । सैंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ श्री जगजीवन राम को सी० एफ० डी० का चेयरमैन होने के कारण कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है । जो अन्य हरिजन और आदिवासी मिनिस्टर हैं, वे तीन चौथाई मिनिस्टर हैं, फुल नहीं । प्रश्न यह है कि जब हरिजनों और आदिवासियों को मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है, तो फिर उन्हें नौकरी में कौन रखेगा ? कई स्टैट्स में जो हरिजन और आदिवासी मिनिस्टर बनाये गये हैं, उन्हें ऐसे डिपार्टमेंट दिये जाते हैं, जिन का कोई काम नहीं होता है । सरकारी अधिकारी कहते हैं कि जब सरकार उन्हें कोई इम्पार्टेन्स नहीं देती है, तो फिर हम क्यों इम्पार्टेन्स दें । मधु दण्डवते जी ने जो रिपोर्ट यहां पर रखी है उस में आदिवासियों के बारे में सारी रिपोर्ट मैंने देखी है । क्लास वन और क्लास टू में हमारा कोई आदमी नहीं है । आज आजादी के तीस साल हो गए । जो बच्चा 47 में पैदा हुआ वह 30 साल का हो गया । वह एम० ए, एल एल बी हो कर जगह जगह नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है । उस को कहीं जाब नहीं मिलता है और सरकार कहती है कि हम को कैंडीडेट नहीं मिलते हैं । जो सरकारी नियम बनाने वाले है वे हरिजन आदिवासियों के बारे में आरक्षण और सारे नियम बनाकर उस के साथ यह लिख देते हैं कि यदि कैंडीडेट मिले, नहीं मिले तो यह आरक्षण रद्द किया जायगा, रिजर्व्ड सीट विल बी कंसिडर्ड ऐज अनरिजर्व्ड। होता क्या है कि अगर कैंडीडेट मिलते हैं तो उन्हें नाट-सूटेबल कर के निकाल देते हैं । उन की योग्यता नापने का कोई बैरोमीटर नहीं है । दूसरे लोगों के साथ हरिजन और आदिवासियों को नापने का कोई सही बैरोमीटर नहीं है । उस को यह कह कर निकाल देते हैं कि यू आर नाट सूटेबल । हमारे कई लोग एम ए, एल एल बी हैं, उन्हें प्राइवेट में लोग अपने यहां रखते हैं लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में उन को नहीं रखते हैं ।

आदिवासियों के लिए आरक्षण साढ़े सात प्रतिशत है और हरिजनों के लिए 15 प्रतिशत है । लेकिन यदि कैंडीडेट मिलते है तो उन को नाट-सूटेबल कर के छोड़ देते हैं और 100 परसेंट सीट दूसरे लोगो से भर देते हैं । आज इतने सारे कमीशन बने हुए हैं । रेलवे सर्विस कमीशन है, यू पी एस सी है, स्टैट्स के अन्दर पी एस सी है लेकिन कहीं हमारा कोई

[श्री सोमजी भाई डामोर]

आदिवासी और हरिजनों का आदमी नहीं है। जो आदमी वहां होते हैं वे हमारे आदमियों को रखते नहीं हैं।

मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि पांच साल पहले जो काम नहीं किया था उस की चर्चा आज यहां हो रही है लेकिन आज जो काम नहीं हो रहा है उस की चर्चा जा कर 82 में होगी, 82 में उस पर डिस्कशन होगा क्योंकि सरकार रिपोर्ट देती नहीं है तो यहा डिस्कशन होता नहीं। इसलिए मैं सरकार से यह कहूंगा कि जो काम आज करना है उसे आज कर लें नहीं तो 80 मे सब रिजर्वेशन खत्म होने वाला है तो 82 में चर्चा कैसे होगी? इसलिए आज जो करना है उसे पूरा करिए। आप की सत्ता है तो उस को पूरा करवाइए।

दूसरी बात यह है कि जो हरिजन और आदिवासी हैं 3000 साल से उन का शोषण हो रहा है। तो 30 साल तक उस को रिजर्वेशन और प्रमोशन देने से कुछ नहीं हो सकता। यह तीन हजार साल का शोषित समाज है, 30 सालो मे कैसे इन की हालत अच्छी हो सकती है। इन को कम से कम 300 साल देना चाहिए रिजर्वेशन और प्रमोशन के लिए तब कुछ हो सकता है। मैं तो यह कह सकता हूं कि आदिवासियो का कोई आज तक रिजर्वेशन और प्रोमोशन कुछ हुआ ही नहीं है। आदिवासियों के बारे में सब जगह निल है। आदिवासियों मे आज इतना असंतोष है स्वराज्य के बारे में कि स्वराज्य लेकर हम ने क्या पाया? मै सरकार से निवेदन करूंगा अगर सरकार नहीं करेगी उन के लिए तो या तो भगवान करेगा या फिर आदिवासी राज करेगा। हम चाहते है कि हमारा आदिवासी स्टेट अलग दे दें तो हम अपनी उन्नति का काम कर लेंगे। जब जनता सरकार छोटी छोटी स्टेट बनाने के लिए विचार कर रही हैं और जय प्रकाश नारायण भी बोले हैं कि छोटी छोटी स्टेट बननी चाहिएं तो मेरा निवेदन है कि बिहार में छोटा नागपुर और संथाल परगना के लिए अलग स्टेट दी जाए। इसी तरह गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ऐसे हिस्सों को मिला कर अलग राज्य वहां भी देना चाहिए और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्टेट बनने वाली है वह सिर्फ आदिवासियों को देना चाहिए। जहां जहां भी इस तरह स्टेट बनाने की बात हो वहां साइंटिफिकली सर्वे करा कर आदिवासियों को वह स्टेट बना कर देनी चाहिए। तभी उन का भला हो सकता है, नहीं तो कोई उन का भला नहीं करेगा। या तो भगवान करेगा या आदिवासी-स्टेट करेगा।

आप पहले से देखे, सारे आर्य लोग एशिया से चल कर यहां आए। इस देश के मालिक आदिवासी लोग है। आर्य लोग आए तो आदिवासी जंगलो में चले गए। आज उन जंगलो से भी आदिवासियों को हटाया जा रहा है। दोनो तरफ से वे मारे जा रहे है। बड़े-बड़े डैम बन रहे है तो वहा उनसे जगल खाली करा लेते हैं। आदिवासियों को कैश पेमेंट दे कर वहां से हटाया जाता है। न उन को जमीन दी जाती है न मकान दिया जाता है। वे जगह जगह मारे मारे फिरते है। इसीलिए हमारा जो मौरल था, जो हमारी खुमारी थी, आत्म सम्मान था वह चला गया। उसे फिर से वापस लाने के लिए सरकार को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जनता सरकार से मेरा निवेदन है कि आदिवासियों और हरिजनों में जो असंतोष है होम मिनिस्टर इस बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं, वह किसी का रक्षण नही कर सकते। आज कितने हरिजनो का खून कर दिया गया। हरिजनो को जिन्दा रहने का कोई अधिकार नहीं है ऐसा हो रहा है। सारे हिन्दुस्तान में ऐसा एक अभिप्राय हो गया है कि जब चरण सिंह होम मिनिस्टर बन गए हैं तो हरिजनों को मारने के लिए वह बन गए हैं। यह मेरा

कहना नहीं है, ऐसा ख्याल जनता में है कि ये रक्षण नहीं कर सकते हैं । यह अभिप्राय गवर्नमेंट को बदलना होगा । हरिजन इस देश के रहने वाले हैं । उन को पूरा रक्षण मिलना चाहिए ।

हमारा शोषण क्यों होता है ? सब आदिवासी जंगल में रहते हैं, दूसरे समाज से अलग रहते हैं । जैसे हरिजन शहर में रहते हैं ऐसे आदिवासियों में नही होता है । हमारा जो रिजर्वेशन है वह कैसे भी हो भरना चाहिए । रिजर्वेशन का मतलब होता है कि दूसरा कैंडीडेट जितना मार्क लाए, उस से कम मार्क हरिजन और आदिवासी लाए तो उस को लेना चाहिए । लेकिन यह आज नहीं हो रहा है । संविधान में उपाय किए गए हैं लेकिन उन पर कोई अमल नही करता है । मैं तो यह कहूंगा कि संविधान के अधिकार को गवर्नमेंट भंग कर रही है । तो उस के ऊपर कुछ विचार होना चाहिए । जब से सविधान में यह रिजर्वेशन दिया है उस से पहले जितने लोग लेते थे वह अब नहीं ले रहे क्यों कि सब जानते हैं कि ये रिजर्वेशन वाले हैं । हरिजन आदिवासियों का नाम लेने से उनके मार्क वे कम कर देते हैं । उसमें लिखा हुआ रहता है कि यह आदिवासी हैं, जबकि उनका ओरल टैस्ट लिया जाता है । इसलिए उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका वे उत्तर ही नही दे सकते । जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं वह आज की माडर्न न्यूज को किस प्रकार समझ सकते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों को पूरा न्याय दिया जाये, उनको पूरा मौका दिया जाये । जब संविधान में उनको रिजर्वेशन मिला हैं तो उनको पूरा कोटा मिलना चाहिए ।

15. hrs.

दूसरी बात यह है कि आदिवासी जंगलों में रहते हैं । फारेस्ट डिपार्टमेंट उनको वहां से हटा रहा है । वह उनको वहां से लकड़ी नहीं लेने देता है । जो उनका पुराना राइट चला आ रहा था उसको आज सरकार उनसे ले रही है । मेरा निवेदन है कि सरकार आदिवासियों के बारे में पूरी स्टेडी करे और देखे कि कैसे उनको रोजी रोटी दी जा सकती हैं तथा उसका पूरा इन्तजाम करे । मेरा सुझाव है कि इसके लिए कोई कार्पोरेशन बनाया जाना चाहिए । और सभी स्टैट्स को केन्द्र से गाइड-लाइन्स भेजी जानी चाहिए । आदिवासी जंगलों में रहते हैं इसलिए वहां पर जो लकड़ी है या दूसरी वस्तुयें हैं उनके उपयोग के लिए एक कार्पोरेशन बनाया जाना चाहिए । जंगल की लकड़ी काट कर सेल नहीं होनी चाहिए बल्कि उस लकड़ी से फर्नीचर या दूसरे फिनिश्ड गुड्स बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि आदिवासियों को वहां पर रोजी रोटी मिल सके । अगर सरकार ने उनकी रोजी रोटी का प्रबन्ध नही किया तो उनमें असंतोष बढ़ता जायेगा । यदि यह असंतोष ज्यादा बढ़ा तो इस देश में क्रांति आ जायेगी और वे लोग दूसरों को ढूढ़ ढांढ कर मारने लगेंगे । इस क्रांति को अगर रोकना है तो सरकार को उन लोगों के लिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनकी रोजी रोटी का इन्तजाम हो सके इसके अतिरिक्त हरिजनों तथा आदिवासियों को अधिक संख्या में नौकरी में लिया जाये । जो हरिजन आदिवासी नौकरियों में हैं उनकी खानगी रिपोर्ट, सी आर बिगाड़ दी जाती है । इसको रोकने का भी प्रबन्ध किया जाये । उनकी सी आर ठीक ढंग से रखी जाये । मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव (खगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के आयुक्त द्वारा जो रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत की गई है उस पर बोलते हुए मैं सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि स्वर्गीय बापू ने हरिजनोद्धार का नारा ही नही दिया बल्कि हरिजनोत्थान के लिए बहुतेरे कार्य भी किये । उनके नेतृत्व में

[श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव]

इस देश का जो सबसे पिछड़ा और कमजोर वर्ग था वह यह महसूस करने लगा कि वास्तव में अब हमारे उत्थान की बात भी होने लगी है। लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि स्वर्गीय बापू के मरने के बाद उनके जो चेले राज्यों में राज्य करने के लिए बैठे उन्होंने उनकी दशा सुधारने के लिए क्या किया---यह बात मैं आज जानना चाहता हूं। वास्तव में आज जगह जगह हरिजनों में उत्तेजना की भावना दिखाई देती है। आज उनमें जो रोष उत्पन्न हो रहा है उसका ठीक कारण ढूंढा जाये तो पता चलेगा कि पिछले तीस वर्षों में सरकार की जो उनके प्रति उपेक्षापूर्नि नीति रही है वही उसका कारण है। हरिजन समुदाय, जिसको गांधी जी ने हरिजन कहा था वह आज वास्तव में समाज का सबसे पिछड़ा, असहाय और कमजोर वर्ग बनकर रह गया है। हमारे संविधान के जनक, डा० अम्बेडकर ने जब संविधान में हरिजनों के आरक्षण की बात कही थी तो देशवासियों को इस बात की आशा थी कि कांग्रेस सरकार के द्वारा हरिजनों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को उसके मुताबिक नौकरियों में स्थान मिल सकेंगे। यदि पिछले तीस वर्षों में हुकूमत के द्वारा उनको आरक्षण के मुताबिक नौकरियों में स्थान दिये गये होते तो आज उनकी दशा आप और हमसे अच्छी होती। लेकिन दुर्भाग्य से आरक्षण के नाम पर उनका राजनीतिक शोषण किया गया। आरक्षण के नाम पर उनके साथ एक प्रकार से सौतेली मां जैसा व्यवहार किया गया। कहने के लिए तो आरक्षण की बात कही गई, नौकरियों में रिजर्वेशन की बात कही गई लेकिन जब हम आयुक्त की रिपोर्ट को देखते हैं या दिन रात हर क्षेत्र में जो देखते हैं उसके अनुसार जो इस देश की सबसे बड़ी पब्लिक अंडरटेकिंग रेलवे है वहां पर भंगी या मेहतर को छोड़कर क्लास फोर में भी हरिजनों का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है, क्लास थ्री, क्लास टू और क्लास वन की तो बात ही करना व्यर्थ है। आज इस देश की 60 करोड़ जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि हरिजनों का जिस प्रकार से शोषण कांग्रेस की हुकूमत में किया गया है उस प्रकार का शोषण कोई भी दूसरी हुकूमत नहीं कर सकती।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि, एक ओर तो हरिजन आदिवासी भूखे नंगे है उनको नौकरिया नहीं मिल रही है, वे भूखे भी रह सकते है लेकिन वे प्यासे नहीं रह सकते। आज आंकड़े इस बात को बता रहे है कि कांग्रेस की हुकूमत मे पिछले तीस वर्षों में पौने दो लाख बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई। ये अधिकाश हरिजनो के ग्राम है जहां पर पीने के पानी की आज तक व्यवस्था नही की गई है। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार और कम से कम जनता सरकार कोई कदम उठाए। यह ठीक है कि जनता सरकार उन की नौकरियों के लिए या उन की आजीविका के लिए योजनाएँ बना कर काम देने की बात सोच रही है लेकिन उस में समय लग सकता है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि जनता सरकार और हमारे गृह मंत्री जी उन के पीने के पानी की समस्या को हल करें और जो भी सहायता वह दे रही है, उस के लिए यह हिदायत दे दी जाए कि वह उन हरिजनो के गावों में खर्च हो जहा पर उन के लिए पीने के पानी की दिक्कते है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज जनता पार्टी के बारे में हरिजनों पर अत्याचार की बातें कही जाती है और खास तौर से जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे उन्होंने कहा कि गृह मंत्री श्री चरण सिंह तो हरिजनों के विरोधी मंत्री हैं। यह बात गलत है और मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे इस बारे में आंकड़े देख लें। आंकड़े स्पष्ट हैं। जो माननीय

सदस्य ऐसी बात कहते हैं व लाइब्रेरी में जा कर आंकड़े देख लें और मैं यह कह सकता हूं कि इस सात दिनों की जनता सरकार ने, जनता सरकार को अभी 7, 8 महीने ही शासन में आये हुए हैं, हरिजनों के लिए क्या किया है। हमारे शासन काल में उन के ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं और कांग्रेस की हुकूमत में उन पर कितने अत्याचार हुए थे, इन आंकड़ों को वे मिला लें और उस के बाद वे इस तरह की बकवास करें। उन के जमाने में उन पर काफी अत्याचार हुए है और उन को रोकना कांग्रेस के बस की बात नही थी क्योंकि कांग्रेस को नौकरशाही चलाती थी। कांग्रेस ने हमारे लिए कोई कानून बनाए भी, तो नौकरशाही के कारण उन का इम्पलीमेंटेशन नही किया गया। उन कानूनों का कार्यान्वयन करने वाले कौन लोग थे। वे आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और क्लास 1, क्लास 2 अफसर थे और वे किन के बेटे है। ये बड़े-बड़े भूपतियों और सामंतों के बेटे है और इन लोगों के कारण काफी गड़बड़ियां हुई है।

मै बिहार की बात आपको बताता हूं। इस बात का बहुत ढिंढोरा पीटा गया कि कांग्रेस ने जिन राज्यो मे हरिजनों को जमीनें बांटी है, उन मे उन हरिजनों को बेदखल किया जा रहा है। मैं आप के माध्यम से इस बात को बता देना चाहता हूं कि भागलपुर जिले में साड़े चार हजार एकड़ जमीन साहुओ के परिवार से ली गई और वह जमीन भूमिहीनों में बांटी गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस में से एक हजार या डेढ़ हजार एकड़ जमीन ऐसी थी, जिन मे नदियां है, नाले हैं और पहाड़ है। ऐसी जमीनें उन को दी गई। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक ओर तो कांग्रेस ने उन लोगों को जमीन दी और दूसरी ओर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हर एक जमीन के लिए रातों-रात पट्टेदारी की दरख्वास्त दे दी। लगभग साढ़े चार हजार एकड़ जमीन जो बांटी गई थी, उस के लिए 19 हजार दरख्वास्तें पट्टेदारी के अन्तर्गत दी गई और इस का नतीजा यह हुआ कि गरीब हरिजन अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ नहीं पाया। इतनी ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कहीं कहीं पर तो केवल कागज के टुकड़ों पर ही इन लोगों को जमीन दी गई। जनता पार्टी की सरकार के बिहार के उप-राजस्व मंत्री ने इन बातो को देखा और जो खामियां थीं उन को ठीक कर दिया और लगभग 700 ऐसे हरिजन थे जिन को केवल कागज पर ही जमीन दी गई थी लेकिन उन्होंने उनको उन जमीनों पर दखल दिलाया और ऊपर से खेती करने के लिए उनको पैसा भी दिया लेकिन हमारी जो नौकरशाही है वह गड़बड़ करने से बाज नही आती है।

उपाध्यक्ष जी, अभी अभी 11 अक्टूबर को बिहार मे पांच सौ लोगों को जमीन बांटी गयी। उनमे से साढ़े तीन सौ परिवार ऐसे थे जो कि गैर हरिजन थे। मै यह नहीं कहता कि जो गैर हरिजन भूमिहीन हो उसे जमीन न दी जाय लेकिन नौकरशाही ने जनता सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों को जमीन दी जिनके पास पहले ही जमीन थी इसलिए मैं अपने गृह राज्य मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि अगर आपने नौकरशाही पर चेक नही लगाया तो आप चाहे कितने ही प्रगतिशील कानून बनाइये, कितने ही प्रगतिशील कदम उठाइये आप हरिजनो को नौकरशाही के शिकन्जे से मुक्ति नही दिला सकते।

उपाध्यक्ष जी, मै आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज तक हरिजनों के लिए कितने ही प्रकार के कानून बनाये गये लेकिन उनमे से किसी पर अमल नही हुआ। इस सम्बन्ध मे मै एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जो गरीब हरिजन गांवों मे रहते है उनको कांग्रेस की हकूमत ने पिछले तीस सालों मे छुआछूत के नाम पर थोड़ी सी राहत की सांस दी थी लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस अनटचेबिलिटी एक्ट के अधीन कहीं किसी पर आज तक मुकदमा नहीं चलाया

[श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव]

गया । आप सारे देश में देख लीजिए, कही किसी पर मुकदमा चलाया गया हो या किसी व्यक्ति को सजा दी गयी हो । इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तव में देश मे छुआछूत नही है । लेकिन नौकरशाही गलत रिपोर्टिंग करके यह करती रही है । यह नौकरशाही चाहे कांग्रेस हुकूमत की हो या जनता पार्टी की सरकार की हो ।

उपाध्यक्ष जी, मै अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । माननीय गृह मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दे । आज कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जनता सरकार को बदनाम करने के लिए, चौधरी चरण सिंह को बदनाम करने के लिए तरह तरह के आरोप लगा रहे है । इसी संदर्भ में मै कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में भागलपुर के अन्तर्गत नगरछिया में नौनिया-पट्टी में महेन्द्र डोम नाम का एक हरिजन पिछले तीस साला से अपने परिवार के साथ रहता आ रहा था, वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक श्री मनीराम सिंह ने जमीदार से मिल कर उस जमीन को बिकवा दिया और उस हरिजन को उस जमीन से बेदखल करने की चेष्टा की । वह जमीन वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के आफिस के बगल में है । इन विधायक महाशय ने उस हरिजन को बुलवा कर जबर्दस्ती उस हरिजन को पचास रुपये देने की चेष्टा की और कहा कि तुम उस जमीन को खाली कर दो । उस हरिजन से जबरन सादे कागज पर अंगूठे का निशान लगवा दिया । जब मुझे यह पता चला तो मैंने एस० डी० ओ० को लिखा और एस० डी० ओ० ने थानेदार को लिखा । 17 अगस्त को एफ० आई० आर० लिखी गयी धारा 107 और 144 के अधीन कार्यवाही की गयी । लेकिन नौकरशाही ने फिर गड़बड़ी की । इस मुकदमा में वह कम्युनिस्ट विधायक अभियुक्त थे । उनके विरुद्ध किसी धारा के अन्तर्गत न तो वारन्ट इश्यु किया गया और न सम्मन इश्यु किया गया । इसके बाद हमने जिला अधिकारी को लिखा था। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे विधायक हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, कानून के अधीन सब बराबर है । दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब वारन्ट इश्यु किये गये, अब अपराधियों को चार्जशीट किया गया जिनमे वे कम्युनिस्ट विधायक भी सम्मिलित है । अब उनके विरुद्ध मुकद्दमे चल रहे है और अपराधी अब जमानत पर है । मै बताना चाहता हूं कि नौकरशाही, अफसरशाही हरिजनो के उत्थान के मामलो में, उनकी शिकायतों को दूर करने के मामले में अवरोधक तत्व के रूप में काम कर रही है और इस पर आपको कड़ा अंकुश रखना चाहिये । इस ओर गृह मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिये और उनको देखना चाहिये कि इसका जो पुराना रवैया है वह बदले ।

आप ने लोक सभा तथा विधान सभाओं के चुनावों में हरिजनों तथा आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है । लेकिन जिन गावो मे बहुतायत में, बड़ी संख्या में हरिजन रहते है वहा पर ग्राम पंचायतों के चुनावों मे हरिजनों के लिए, आदिवासियो के लिए आपने आरक्षण की व्यवस्था नही की है, वहा पर किसी प्रकार की सुविधा उनको नही दी गई है । इसका नतीजा यह होता है कि गाव का पटवारी, गाव का प्रधान, कोई भूपति अगर हरिजन के साथ जोर जबर्दस्ती करता है, उस पर जुल्म ढहाता है तो वह बेचारा पंचायत में जा कर फरियाद भी नही कर सकता है और अगर करता है तो उसकी सुनवाई नही होती है । मै चाहता हू कि ग्राम पंचायतो में, नगरपालिकाओं में लोक सभा तथा विधान सभाओं की तरह से इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये ।

आपको देखना चाहिये कि इनकी दशा सुधरे और इन पर किसी भी प्रकार के अत्याचार या जोर जबर्दस्ती न हो ।

पब्लिक अंडरटेकिंग्ज, सैमी पब्लिक अंडरटेकिंग्ज और प्राइवेट लोगों द्वारा संचालित जितने कारखाने चल रहे है वहां पर भी आपको इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये । मै यह भी चाहता हूं कि जितने एरियर्ज बचे हुए है उनकी पूर्ति पहले की जानी चाहिये, पहले उनके लिए जो आरक्षित स्थान है और जो पहले से चले आ रहे है उनकी पूर्ति इन जातियों के लोगों में से की जानी चाहिये और जब इनका कोटा पूरा हो जाए तब दूसरे लोगों की नियुक्तियां हों । इस प्रकार के कदम आप उठायेंगे तब कही जा कर इनका उत्थान हो सकेगा, इनको सांस लेने का मौका मिल सकेगा और ये लोग समझ सकेंगे कि जनता सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है ।

अन्त में मै इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जमीन इनको दी जाए वह कागजों पर ही न दी जाए बल्कि उनका कब्जा भी इनको दिलाया जाए । साथ ही पंचायतो, नगर पालिकाओं मे इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए और निजी कारखानों, पब्लिक और सैमी पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में जो एरियर्ज हैं उनमें अग्रीमेन्ट पहले इनकी भरती हो बाद मे दूसरों की हो ।

15.18 hrs.

STATEMENT RE. DAMAGE TO RAILWAY TRACK ON SOUTHERN RAILWAY DUE TO CYCLONE

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): Sir, I rise to make a statement to apprise the House of the widespread damage to railway track and suspension of train services on the Southern Railway due to the cyclonic storm which hit parts of Tamilnadu on November 11th and also of the steps benig taken by the Railways to restore through communications which are so vital for the general flood relief work.

I, accompanied by the Member, Engineering, Railway Board, and the General Manager of Southern Railway, visited the flood affected areas yesterday and made an aerial survey of the places where breaches in railway track had occurred disrupting communications. I also inspected, on foot, the railway colonies and station yards in the Tiruchirapalli area, particularly at Srirangam. During my aerial survey, I covered the sections fromTiruchirapalli to Thanjavur, Nagappatinam, Nagore, Kodikkarai, Karaikkudi, Dindigul, Samudran, Karur and back to Tiruchirapali.

The cyclonic storm left a train of destruction in its wake. Railway communication lines were seriously disrupted, rivers and stream in the Cauvery basin flooded and the railway tracks flooded and breached at a number of locations affecting rail services from the night of the 11th instant. Heavy damage was caused to the track, station buildings, etc. especially Nagappatinam, Thiruvarur, Kodikkarai, Pudur, Karur and Golden Rock. A major bridge across Amravati river, consisting of 20 spans of 50 ft. each, has been seriously damaged and 6 piers along with their adjoining girders and track washed away.. Flooding of track has occurred at a number of locations between Villupuram and Tiruchchirapalli on the main, as well as the chord lines, Tiruchchirapalli-Dindigul, Tiruchchirapalli-Karur and Dindigul-Palani Sections. Extensive breaches to track around Tiruchchirapalli had isolated Tiruchchirapalli from all directions. A number of railwaymen's colonies have been inundated forcing the inhabitants to take shelter on railway platforms etc. About 25,000 railway families